

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 135]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 12, 2014/ वैशाख 22, 1936

No. 135]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 12, 2014/VAISAKHA 22, 1936

भारतीय स्टेट बैंक

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अंतर्गत गठित)

सूचना

मुम्बई, 7 मई, 2014

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कार्य करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की महासभा बुधवार, दिनांक 25 जून 2014 को पूर्वाह्न 11.00 बजे बैंक के ऑडिटोरियम, स्टेट बैंक भवन कॉम्प्लेक्स, मादाम कामा रोड, मुंबई-400 021 (महाराष्ट्र) में आयोजित की जाएगी :

1. भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 19(ग) के प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्रीय बोर्ड के चार निदेशकों का चुनाव करना ।

2. निम्नलिखित पर विचार करने और यदि उचित समझा गया, तो उसे संशोधन के साथ या बिना किसी संशोधन के एक विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना :

- i. **"संकल्प किया जाता है कि** भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 और भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियमन, 1955, समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना) दिशा-निर्देश, 1999 (**"दिशा-निर्देशों"**) के अध्यक्षीन और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के अनुमोदन, सहमति और संस्वीकृति, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन तथा अन्य दूसरे प्राधिकरण जिनकी इस संबंध में आवश्यकता हो सकती है, के प्रयोज्य अनुमोदन (अनुमोदनों), सहमति

(सहमतियों) और संस्वीकृति (संस्वीकृतियों), यदि कोई हो, के अध्यक्षीन और ऐसी किसी शर्तों एवं आशोधनों के अध्यक्षीन जो ऐसे अनुमोदन (अनुमोदनों), सहमति (सहमतियों) और संस्वीकृति (संस्वीकृतियों), अनुमोदन प्रदान करते समय ऐसे प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं या लगाई जा सकती हैं और जिनके संबंध में बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड (यहां इसके बाद इसे बोर्ड कहा गया है जिसमें केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) द्वारा सहमति प्रदान की जा सकती है और स्वीकृति दी जा सकती है, बोर्ड को ऐसे कर्मचारियों को चाहे वे भारत में या भारत के बाहर कार्यरत हों, जिसकी अभिव्यक्ति में बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ("कर्मचारी") शामिल होंगे, जो बोर्ड द्वारा तय किए जा सकते हैं, सभी प्रयोजनों के लिए और सभी तरह से, लाभांश के भुगतान सहित, जिसे कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना (यहां इसके बाद इसे "ईएसपीएस" संदर्भित किया गया है) के अंतर्गत बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, ऐसी कीमत या कीमतों या ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर जिसे बोर्ड अपने संपूर्ण विवेकाधिकार से निर्धारित कर सकता है, प्रति रु.10 (दस रुपए मात्र) के 55,56,490 या ऐसी संख्या के ईक्विटी शेयर बैंक के विद्यमान ईक्विटी शेयरों के साथ समरूप श्रेणी में एक या अधिक श्रृंखलाओं में स्वीकृत, प्रस्तावित, निर्गमित और आबंटित करने के लिए बोर्ड को सहमति दी जाए और एतद्वारा सहमति प्रदान की जाती है।"

- ii. **"आगे यह संकल्प किया जाता है कि** बैंक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना) दिशा-निर्देश, 1999 के खण्ड 19.2 (अर्थात् अनुसूची -II) में यथा निर्दिष्ट लेखा नीतियों का अनुपालन करेगा।
- iii. **"आगे यह संकल्प किया जाता है कि** बोर्ड ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर जिन्हें बोर्ड द्वारा तय किया जा सकता है और समय-समय पर ईएसपीएस के निबंधनों एवं शर्तों में कोई आशोधन (आशोधनों), परिवर्तन (परिवर्तनों), अंतर (अंतरों), बदलाव (बदलावों) या संशोधन (संशोधनों) करने के लिए, जिनमें कीमत, अवधि, पात्रता मानदण्ड संबंधित संशोधन शामिल होंगे परंतु उन तक सीमित नहीं या ईएसपीएस को इस ढंग से निलंबित, आहरित, रद्द या संशोधित करने के लिए जिसे बोर्ड अपने एकल विवेकाधिकार से निर्धारित कर सकता है और सभी प्रश्नों, कठिनाइयों या संदेहों का निपटान करने के लिए भी, जो ईएसपीएस के कार्यान्वयन के संबंध में उठ सकते हैं, और इस कार्य के लिए और इस आशय से कि इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा शेयरधारकों द्वारा इस संबंध में अपनी सहमति दी हुई समझी जाएगी, ईएसपीएस का कार्यान्वयन, निरूपण, निर्धारित करने और लागू करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है:
- iv. **"आगे यह संकल्प किया जाता है कि** यहां उल्लिखित बोर्ड को प्रदत्त सभी या कोई अन्य अधिकार निदेशकों को किसी समिति (समितियों), बैंक के अध्यक्ष या किसी अन्य प्रबंध निदेशक या किसी अन्य ऐसे अधिकारी को, जिसे उक्त संकल्प को लागू करने के लिए उचित समझा जा सकता है, प्रत्यायोजित करने के लिए बोर्ड को प्राधिकृत किया जाए और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

अरुंधती भट्टाचार्य, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/ असाधारण/ 39/14]

निदेशकों के चुनाव से संबंधित सूचना

- निदेशकों का चुनाव शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित निम्नलिखित चार निदेशकों के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप होने वाले रिक्त-पदों को भरने के लिए करवाया जा रहा है :

क्रमांक	निदेशक का नाम	कार्यकाल अवधि
1.	श्री एस. वैकटाचलम	25.06.2011 से 24.06.2014
2.	श्री डी. सुंदरम	25.06.2011 से 24.06.2014
3.	श्री पार्थसारथी अयंगर	25.06.2011 से 24.06.2014
4.	श्री थॉमस मैथ्यू	13.01.2013 से 24.06.2014

- शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले निदेशकों का कार्यकाल 26 जून 2014 से 25 जून 2017 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए रहेगा।
- नामांकन भरने वाले शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले नामांकन फॉर्म और घोषणा एवं वचन-पत्र के प्रारूप बैंक के सभी स्थानीय प्रधान कार्यालयों के मुख्य महाप्रबंधकों के सचिवालय और कारपोरेट केन्द्र के केन्द्रीय बोर्ड सचिवालय में उपलब्ध हैं। विधिवत भरे हुए नामांकन फॉर्म और घोषणा एवं वचन-पत्र के साथ सभी संबंधित दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में मंगलवार, दिनांक 3 जून 2014 को शाम 5.00 बजे (बंद होने का समय) तक या उससे पूर्व बैंक के कारपोरेट केन्द्र में प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

लिफाफे पर **"शेयरधारकों द्वारा निदेशकों के निर्वाचन हेतु नामांकन फॉर्म"** साफ-साफ लिखा होना चाहिए और इसे निम्नलिखित पते पर भेजा जाना चाहिए :

महाप्रबंधक एवं सचिव, केन्द्रीय बोर्ड
भारतीय स्टेट बैंक, कारपोरेट केन्द्र
19वीं मंजिल, स्टेट बैंक भवन
मादाम कामा रोड, मुंबई – 400021

बंद होने के समय के बाद प्राप्त नामांकन फॉर्म और घोषणा एवं वचन-पत्र अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

- शेयरधारक जिनके पास उनके अधिकार में चाहे वे एकमात्र अधिकार में या संयुक्त रूप में होने पर प्रथम नाम से हो और बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर में भारमुक्त कम से कम 500 शेयरधारक उनके नाम में पंजीकृत हो तथा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 19क एवं 22 के उपबंधों और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 के अनुसार वे अयोग्य न हों, चुनाव लड़ने के लिए पात्र हैं।
- शेयरधारक जिनके पास उनके अधिकार में चाहे वे एकमात्र अधिकार में हो या संयुक्त रूप में होने पर प्रथम नाम से 50 और उससे अधिक शेयर हों और वे इस महासभा की तिथि से 3 माह पूर्व की एक न्यूनतम अवधि के लिए बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर में पंजीकृत हों तथा जो इस सभा की तिथि को न्यूनतम 50 शेयरों के साथ बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर में लगातार एक शेयरधारक के रूप में बने हुए हों, इस चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र हैं।

व्याख्यात्मक विवरण

कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना का उद्देश्य

बैंक निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ कर्मचारी शेयर क्रय योजना, 2014 के अंतर्गत यथा उल्लिखित ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर, या जो अन्य बातों के साथ-साथ प्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमनों और दिशा-निर्देशों के अध्यक्षीन बोर्ड द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं, बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों सहित दो वर्ष की स्थायी सेवा वाले बैंक के सभी स्थायी कर्मचारियों को ईक्विटी शेयर संस्वीकृत करने का प्रस्ताव करता है:

- i) बैंक के विकास एवं लाभप्रदता में योगदान करने के लिए उनके प्रयासों को प्रोत्साहित करने हेतु पात्र कर्मचारियों को प्रोत्साहन देना ;
- ii) बैंक के विकास के प्रति उनके निरंतर सहयोग एवं योगदान के लिए पात्र कर्मचारियों को पुरस्कृत करना ;
- iii) बैंक में मालिकाना हित प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को ईक्विटी शेयर उपलब्ध कराकर पात्र कर्मचारियों के ईक्विटी स्वामित्व को प्रोत्साहित करना।

इसलिए, निदेशक बोर्ड इस सूचना में उल्लिखित विशेष संकल्प को आपके अनुमोदन हेतु संस्तुत करता है।

अन्य बातों के साथ-साथ ईएसपीएस की विस्तृत निबंधन एवं शर्तें निम्नानुसार होंगी :

जारी किए जाने वाले शेयरों की कुल संख्या :

ईएसपीएस के अंतर्गत कर्मचारियों को 55,56,490 तक प्रस्तावित किए जाने तक का प्रस्ताव है। तथापि, ईएसपीएस के अनुरूप, किसी भी श्रेणी के कर्मचारी को प्रस्तावित शेयरों का भाग, यदि अभिदत्त नहीं रहता है, तो कर्मचारियों की अन्य उस श्रेणी या उन श्रेणियों का उपलब्ध कराया जाएगा, जहां पदोन्नति या अन्यथा के कारण कर्मचारियों की संख्या में कोई अंतर रहता हो। प्रत्येक वर्ग के कर्मचारियों को प्रस्तावित किये जाने वाले अंशों की संख्या, जो कि बोर्ड के द्वारा निर्धारित की जावेगी, प्रथम होगी।

शेयर की कीमत

बैंक के कर्मचारियों को, प्रत्येक रु.10 के ईक्विटी शेयर उस मूल्य, जिसकी गणना, योजना प्रारंभ होने की तिथि से विगत दो सप्ताह के एन. एस. इ. पर बैंक के शेयर के, बाज़ारबंदी के समय पर उद्धृत उच्च एवं निम्न मूल्यों के औसत पर, उतनी छूट, जिसे कि बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा, के आधार पर की जाएगी, जो कि रु. 1565 प्रति शेयर से कम नहीं होगा, पर प्रस्तावित करने का प्रस्ताव है।

ईएसपीएस के लिए कर्मचारी की पात्रता निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया :

ईएसपीएस के प्रारंभ होने की तिथि को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों सहित दो वर्ष की स्थायी सेवा वाले बैंक के सभी स्थायी कर्मचारी प्रयोज्य विनियामक अपेक्षाओं एवं दिशा-निर्देशों के अध्यधीन सहभाग करने के लिए पात्र होंगे।

प्रकटीकरण और लेखा नीतियां

बैंक सेबी और अन्य कोई उचित विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रकटीकरण और लेखा नीतियों का अनुपालन करेगा।

अवरुद्ध अवधि

प्रस्तावित ईएसपीएस के अंतर्गत जारी किए गए शेयर आबंटन की तिथि से कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए अवरुद्ध अवधि में रहेंगे।

टिप्पणियां

(i) **प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची :**

बैंक के पात्र शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्चियां हमारे स्थानीय प्रधान कार्यालयों में मुख्य महाप्रबंधक के सचिवालय, प्रशासनिक कार्यालयों में, बैंक की वेबसाइट : www.statebankofindia.com/www.sbi.co.in पर कारपोरेट गवर्नेन्स/शेयरधारक इन्फो लिंक के अंतर्गत और निम्नलिखित कार्यालयों में भी उपलब्ध हैं :

(1) शेयर एवं बॉण्ड विभाग, भारतीय स्टेट बैंक, कारपोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, मुंबई-400021 – टेलीफोन नं. (022)-2274 0841-0848.

(2) मेसर्स डाटामेटिक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लि., यूनिट : भारतीय स्टेट बैंक, प्लॉट नं. बी-5, पार्ट-बी, क्रास लेन, एमआईडीसी, अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400093, टेलीफोन नं. (022)-66712201-03.

उपस्थिति पर्चियां दिनांक 25 जून, 2014 को महासभा के स्थल पर भी उपलब्ध रहेंगी।

विधिवत रूप से भरे हुए प्रॉक्सी फॉर्म और साथ में मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (जहां लागू हो) जो हस्ताक्षरित हो, बैंक के शेयर एवं बॉण्ड विभाग, भारतीय स्टेट बैंक, कारपोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, मुंबई-400 021 में दिनांक 17 जून, 2014 को शाम 5.00 बजे तक या उससे पूर्व प्राप्त हो जाने चाहिए।

(ii) **प्राधिकृत प्रतिनिधि**

महासभा में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अपने किसी अधिकारी या अन्य किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करने वाली शेयरधारक कंपनी को इसके लिए एक विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त करने संबंधी प्रस्ताव की एक प्रति को उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया जाएगा जिस बैठक में इस प्रकार का संकल्प पारित किया गया है, बैंक के निम्नलिखित दो कार्यालयों में से किसी एक कार्यालय में दिनांक 20 जून, 2014 को शाम 5.00 बजे तक या उससे पूर्व जमा करानी चाहिए :

(i) शेयर एवं बॉण्ड विभाग, भारतीय स्टेट बैंक, कारपोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, मुंबई-400 021.

(ii) मुख्य महाप्रबंधक का सचिवालय, भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, सनर्जी, सी-6, जी ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051.

STATE BANK OF INDIA
(Constituted under the State Bank of India Act, 1955)

NOTICE

Mumbai, the 7th May, 2014

NOTICE IS HEREBY GIVEN that a General Meeting of the Shareholders of State Bank of India will be held on Wednesday, the 25th June, 2014, in the Bank's Auditorium, State Bank Bhavan Complex, Madame Cama Road, Mumbai-400 021 (Maharashtra) at 11.00 a.m, for transaction of the following business:

1. To elect four Directors to the Central Board of the Bank under the provisions of Section 19 (c) of State Bank of India Act, 1955."
2. To consider and if thought fit, pass with or without modification(s), the following resolution(s) as a special resolution:
 - i. **RESOLVED THAT**, subject to the State Bank of India Act, 1955 & the State Bank of India General Regulations, 1955, the Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999 as amended from time to time (the "**Guidelines**"), and **subject to the approval, consent and sanction, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GoI), Securities and Exchange Board of India (SEBI)**, and subject to any applicable approval(s), permission(s) and sanction(s), at any stage, of any authority and subject to any condition(s) and modification(s) as may be prescribed or imposed by such authorities while granting such approval(s), permission(s) and sanction(s) and which may be agreed to and accepted by the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include the Executive Committee of the Central Board), consent be and is hereby accorded to the Board to grant, offer, issue and allot, in one or more tranches, to such employees, whether working in India or outside India, which expression shall include the Chairman and Managing Directors of the Bank ("The Employees"), as may be decided by the Board, up to 55,56,490 or such number of equity shares of Rs.10 (Rupees Ten only) each, ranking pari-passu with the existing equity shares of the Bank for all purposes and in all respect, including payment of dividend, as may be decided by the Board under an Employee Stock Purchase Scheme (hereinafter referred to "ESPS"), at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board in its absolute discretion;
 - ii. **RESOLVED FURTHER THAT** the Bank shall conform to the accounting policies as specified in Clause 19.2 (i.e. Schedule-II) of the Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999.
 - iii. **RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorised to implement, formulate, evolve, decide upon and bring into effect the ESPS on such terms and conditions as may be decided by the Board and to make any modification(s), change(s), variation(s), alteration(s) or revision(s) in the terms and conditions of the ESPS, from time to time, including but not limited to, amendment(s) with respect to price, period, eligibility criteria or to suspend, withdraw, terminate or revise the ESPS in such manner as the Board may determine in its sole discretion and also to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in relation to the implementation of the ESPS and to the shares to be issued pursuant to the proposed ESPS without being required to seek any further consent or approval of the Shareholders or otherwise to the end and intent that the Shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by authority of this resolution;

- iv. **“RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to any Committee(s) of Directors, the Chairman or any of the Managing Directors or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.

ARUNDHATI BHATTACHARYA, Chairman

[ADVT III/4/Exty/39/14]

Information on Election of Directors:-

- The election of Directors is being held to fill in the vacancies arising out of the retirement of the following four Directors elected by Shareholders:

Sr.	Name of the Director	Term
1	Shri S. Venkatachalam	25.06.2011 to 24.06.2014
2	Shri D. Sundaram	25.06.2011 to 24.06.2014
3	Shri Parthasarathy Iyengar	25.06.2011 to 24.06.2014
4	Shri Thomas Mathew	13.01.2013 to 24.06.2014

- The terms of office of the Directors to be elected by the Shareholders will be for a period of three years from 26th June 2014 to 25th June 2017.
- The Nomination form and the formats of the Declaration & Undertaking to be submitted by Shareholders are available with the Secretariat of the Chief General Managers at all the Local Head Offices and the Central Board Secretariat at the Corporate Centre of the Bank. The duly filled up Nomination form and Declaration & Undertaking should be submitted with all connected documents in a sealed envelope to the Bank at its Corporate Centre, Mumbai, on or before Tuesday, the 3rd June, 2014 by 05.00 pm (closing time). The envelope should be super-scribed : “NOMINATION FORM FOR ELECTION OF DIRECTOR BY SHAREHOLDERS” and delivered at the following address:

The General Manager & Secretary, Central Board,
State Bank of India, Corporate Centre,
19th Floor, State Bank Bhavan,
Madame Cama Road, Mumbai - 400021.

Nomination form and Declaration & Undertaking received after the closing time will be rejected.

- Any Shareholder, having not less than 500 unencumbered shares registered in his/ her own right, either as sole holder or as first named holder when jointly held, in the Register of Shareholders of the Bank and not disqualified under the provision of Sections 19A and 22 of the State Bank of India Act, 1955 and Section 20 of the Banking Regulation Act, 1949, is eligible to contest the election.
- Any Shareholder with 50 shares and above, registered in his/her own right, either as sole holder or as first named holder when jointly held, in the Register of Shareholders of the Bank for a minimum period of 3 months prior to the date of the General Meeting and who continues to be a shareholder with minimum 50 shares in the Register of the Bank's shareholders as on the date of the Meeting, is eligible to vote in the Election.

EXPLANATORY STATEMENT**OBJECTIVE OF THE EMPLOYEE STOCK PURCHASE SCHEME**

The Bank proposes to grant equity shares to all confirmed permanent employees of the Bank with two years confirmed service including Chairman and Managing Directors of the Bank on such terms and conditions as stated under Employees Share Purchase Scheme, 2014, or as may be decided by the Board subject to the applicable Laws, Rules, Regulations and Guidelines, inter-alia, with the following objectives:

- i) Providing incentive to eligible employees, to stimulate their efforts towards contributing to the growth and profitability of the Bank;
- ii) Rewarding eligible employee for their continued support and contribution towards the Bank's growth;
- iii) Encouraging equity ownership by eligible employees by providing them with the means to acquire a proprietary interest in the Bank.

The Board of Directors, therefore, recommends for your approval the Special Resolution mentioned in the Notice.

The following would inter-alia be the broad terms and conditions of the ESPS:

TOTAL NUMBER OF SHARES TO BE ISSUED:

Up to 55,56,490 shares are proposed to be offered to the employees under the ESPS. However, the portion of shares offered, pursuant to the ESPS, to any category of employee, if remains unsubscribed, shall be made available to other category or categories of the employees. The number of shares, to be offered, will be different for different categories of employees, as may be decided by the Board.

PRICE OF THE SHARE

It is proposed to offer equity shares of Rs.10 each to the employees of the Bank at such discount, as may be decided by the Board, on the average of the weekly high and low of the closing prices of equity shares of the Bank quoted on NSE during the two weeks preceding the launch date, but at a price not less than Rs.1565 per equity share.

THE APPRAISAL PROCESS FOR DETERMINING THE ELIGIBILITY OF EMPLOYEE FOR ESPS:

All confirmed permanent employees of the Bank with two years confirmed service including Chairman and Managing Directors of the Bank as on the date of launch of ESPS will be entitled to participate, subject to the applicable regulatory requirements and guidelines.

DISCLOSURE AND ACCOUNTING POLICIES

The Bank shall comply with the disclosure and accounting policies prescribed by the SEBI and any other appropriate regulatory authority.

LOCK-IN

Shares issued under the proposed ESPS shall be locked in for a minimum period of one year from the date of allotment.

NOTES**(i) PROXY FORM & ATTENDANCE SLIP:**

Bank's eligible shareholders are advised that the Proxy Forms and Attendance Slips are available in the Secretariat of Chief General Managers of Bank's fourteen Local Head Offices, and Bank's websites: www.statebankofindia.com/ www.sbi.co.in under the link Corporate Governance/SHAREHOLDERS INFO and also at the following offices:

- (i) Shares & Bonds Department, State Bank of India, Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Mumbai – 400021, Telephone: (022) 2274 0841- 0848.
- (ii) M/s Datamatics Financial Services Ltd., Unit: State Bank of India, Plot No. B-5, Part B, Cross Lane, MIDC, Andheri (East), Mumbai-400093. Telephone: (022) 66712201-03.

Attendance Slips will also be available at the venue of the General Meeting on 25th June 2014.

Duly executed proxy forms, together with power of attorney or other authority (where applicable) under which it is signed, must be received at the Bank's Shares & Bonds Department, State Bank of India, Corporate Centre, Madame Cama Road, Mumbai – 400 021 on or before 17th June, 2014 05.00 p.m.

(ii) AUTHORIZED REPRESENTATIVE

Shareholders, being a company, authorizing any of its officials or any other person to act as their representative in the General Meeting should deposit a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which such resolution was passed, at any of the following two offices of the Bank, on or before 20th June, 2014 by 05.00 pm :

- (i) Shares & Bonds Department, State Bank of India, Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Mumbai – 400 021.
- (ii) Secretariat of the Chief General Manager, State Bank of India, Local Head Office, Synergy, “C 6”, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051.